

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/एस-661/2019/ दिनांक:

-: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.2016 एवं 230 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।


क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1.	डूंगाराम	सिरोही	11.06.85	16.02.16	18.02.18	19.02.18
2.	पूजा शर्मा	सिरोही	06.04.84	11.02.16	10.02.18	11.02.18
3.	जयेश धवल	सिरोही	02.04.89	18.02.16 म0 पश्चात	18.02.18	19.02.18
4.	सुनिता कटारा	सिरोही	17.11.81	12.02.16	11.02.18	12.02.18
5.	मनीष कुमार जैन	सिरोही	06.11.85	10.08.16	09.08.18	10.08.18
6.	राजकुमार जोशी	सिरोही	25.11.81	10.08.16	09.08.18	10.08.18
7.	जितेन्द्र सिंह पवार	सिरोही	19.08.86	10.08.16	09.08.18	10.08.18
8.	गोविन्द लाल दायमा	सिरोही	14.11.83	28.03.16	27.03.18	28.03.18
9.	धर्मवीर	सिरोही	21.10.78	17.03.16	16.03.18	17.03.18

नोट: क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री डूंगाराम द्वारा परिवीक्षा अवधि में 33 दिवस के अवैतनिक अवकाश का उपभोग किये जाने के कारण इनके परिवीक्षाकाल में 3 दिवस की अभिवृद्धि की गई है।

4.
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।
दिनांक: 25-01-19

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/एस-661/2019/97
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।